

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ओपी एसबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 94/2022 दिनांक 23/3/2022
2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..... धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 437 ~~337~~ समय 1.00 PM,
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :- 22.03.2022 समय 06.55 पीएम
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- पिलानी जिला झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- सीकर से उत्तर-पूर्व दिशा में करीब 115 किलोमीटर
(ब) पता :- भगतसिंह सर्किल के पास चिड़ावा रोड स्थित स्वास्तिक मेडिकल स्टोर पिलानी
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री समुन्द्रसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री भगवत सिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 37 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय :-
(ल) पता :- निवासी गांव छापड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सन्तासिंह, उम्र-52 वर्ष, जाति जाट, निवासी अच्छापुर तहसील राजगढ जिला चूरु हाल एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
..... कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 25,000 रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
दिनांक 17.03.2022 को समय 8.25 एएम पर परिवादी समुन्द्रसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 7062501113 पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर द्वारा कॉल करने पर परिवादी ने पुलिस चौकी पिपली के एसआई श्री दलीप कुमार द्वारा रिश्वत मांगने तथा एसआई को रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक को मामलें में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी के चाहेनुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.03.2022 को समय 7.00 एएम पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर पिलानी रवाना किया गया। उसी दिन शाम के समय श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तथा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन होने की कही। परिवादी श्री समुन्द्र सिंह ने दिनांक 22.03.2022 को सुबह जल्दी रिश्वती राशि देने की कही, जिस पर दिनांक 22.03.2022 को

कार्यालय सहायक अभियंता सीएसडी-तृतीय अ.वि.वि.नि.लि. सीकर से श्री कैलाशचन्द्र मुण्डोतिया सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुनिल जांगिड वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय को तलब कर फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एसआई, श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द्र कानि. नं. 568, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों से समय करीब 7.30 एएम पर सीकर से रवाना होकर समय 9.30 एएम पर पिलानी पहुँचा। श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया गया।

कार्यवाही पुलिस

22.03.2022

9.30 एएम इस समय कस्बा पिलानी जिला झुंझुनू बस स्टेण्ड के पास मुख्य सड़क पर श्री दलीप कुमार कानि. एवं परिवादी श्री समुन्द्र सिंह उपस्थित मिले। परिवादी श्री समुन्द्र सिंह ने कस्बा पिलानी में भगतसिंह सर्किल के पास अपने मामाजी रणवीर सिंह पुत्र श्री रामावतार सिंह के मकान पर मुकिम रहकर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के उक्त मामाजी के मकान पर पहुँचा जहाँ श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि " कल दिनांक 21.03.2022 को मैंने पिलानी पहुँच परिवादी श्री समुन्द्र सिंह से सम्पर्क किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पिलानी से रवाना होकर पुलिस चौकी पिपली पहुँचे जहाँ मैंने परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को दे दिया तथ परिवादी के पुलिस चौकी से बाहर आने पर मैंने टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया, समय रात्रि का होने के कारण मैं झुंझुनू में ही मुकिम रहा तथा परिवादी अपने घर चला गया" परिवादी श्री समुन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, उम्र-37 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव छापड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू ने उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर विषय :- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि गांव छापड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू में मेरी सगी मोसीजी श्रीमती ललीता पत्नी श्री विजयसिंह रहती है। मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के पुत्र श्री प्रवीण की उनके रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई होने पर उनके रिश्तेदारों ने श्री प्रवीण के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू में मारपीट का मुकदमा करवा दिया, जिसका मुकदमा नम्बर मुझे ध्यान नहीं है। उक्त मुकदमें की तफ्तीश श्री दलीप पुनियां एसआई पुलिस चौकी पिपली द्वारा की जा रही है। मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के कहने पर मैंने उक्त श्री दलीप कुमार एसआई से बातचीत की तो उसने मुकदमें में मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के एक लडके श्री प्रवीण को छोडकर शेष मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता एवं उसके एक पुत्र श्री नगेन्द्र सिंह एवं मोसीजी श्रीमती ललीता की पुत्री तथा बेटे की बहू को मुल्जिम नहीं बनाने के लिये मेरे से 50000 रुपये रिश्वत के देने की कही, तो मैंने मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता को यह बात बताई तो मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता ने मुझे मामले में पैरवी करने की कहते हुये उक्त श्री दलीप कुमार एसआई को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने की कही। मैं व मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता उक्त श्री दलीप कुमार एसआई को रिश्वत नहीं देने चाहते है और उसको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहते है। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करे। एसडी-समुन्द्रसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, उम्र-37 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव छापड़ा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू मोबाईल नम्बर 7062501113 दिनांक 22. 03.2022, मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री समुन्द्रसिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली जिला झुंझुनू से कोई उधार लेनदेन एवं किसी प्रकार की कोई रजिश नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि "कल मैंने मेरी मौसी के कहने पर पुलिस चौकी पिपली में जाकर श्री दलीप कुमार एसआई से वार्ता की तो उसने मुकदमें में प्रवीण का नाम रखने एवं शेष अन्य को मुल्जिम नहीं बनाने के बदले में मेरे से 30,000 रुपये देने की कहते हुये लास्ट में 25,000 रुपये रिश्वत के लेने पर सहमत हुआ तथा रिश्वती राशि आज ही देने की कही है" टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर परिवादी समुन्द्रसिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी समुन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.03.2022 को आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड्ड वार्तालाप में परिवादी समुन्द्रसिंह ने स्वयं की व आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात आरोपी दलीप कुमार एसआई की मौजूदगी का पता मालूम करने के लिये परिवादी श्री समुन्द्रसिंह से उसके व्हाट्सअप मोबाईल नम्बर 9929036489 से आरोपी दलीप कुमार एसआई के मोबाईल नम्बर 9414085293 पर समय 11.33 एएम पर कॉल लगाकर वार्ता करवाई तथा परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर हुई वार्ता को कार्यालय के दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान आरोपी एसआई द्वारा किसी कार्य से चौकी से बाहर हरियाणा की तरफ चले जाना बताते हुये समय करीब 4-5 पीएम तक कस्बा पिलानी में परिवादी की मेडिकल की दूकान पर आने की कही। तत्पश्चात परिवादी श्री समुन्द्रसिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पाँच-पाँच सौ रुपये के 50 नोट कुल 25000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

- 1-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 EU 515773
- 2-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0 FE 371290
- 3-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 PF 724518
- 4-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 RP 996274
- 5-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 AG 864191
- 6-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6 GH 831107
- 7-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1 UD 864584
- 8-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 WB 703712
- 9-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5 GU 976662
- 10-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 VM 947831
- 11-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 DM 896747
- 12-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 BM 515014
- 13-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 EF 735973
- 14-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0 EU 437235
- 15-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 CR 368820
- 16-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 CR 703195
- 17-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7 DK 924309
- 18-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 DT 826555
- 19-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9 UH 028806
- 20-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5 FP 597912
- 21-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2 PD 375461
- 22-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8 ED 017454
- 23-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 EL 564317
- 24-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3 QG 572556
- 25-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4 EV 587698

26-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6 NS	648173
27-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2 RU	401324
28-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7 HA	086035
29-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6 KD	223930
30-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7 ED	087884
31-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7 ED	087885
32-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9 KF	603044
33-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7 LC	124089
34-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0 KC	262647
35-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6 SV	516848
36-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0 VH	887858
37-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	6 PA	783562
38-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9 ER	975362
39-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	0 CB	822382
40-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	9 KL	190679
41-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8 WC	721258
42-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2 VR	821174
43-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5 SP	325380
44-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	4 PN	693887
45-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2 MC	897815
46-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	2 GU	128037
47-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	8 PH	409592
48-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	7 AT	486807
49-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	3 HB	578334
50-एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी	5 TP	663185

फिनोपथलीन की शीशी गाड़ी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्त कायदा फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुनिल जांगिड वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय से परिवादी श्री समुन्द्रसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊंडर लगे 25,000 रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से परिवादी के पहने हुये बुशर्ट की सामने की बाईं जेब सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊंडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊंडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोपथलीन पाऊंडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय के दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी समुन्द्रसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन में ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। बाद उपरोक्त कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के आरोपी एसआई के पिलानी आने के इन्तजार में परिवादी के मामाजी के निवास स्थान पर मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय 5.42 पीएम पर आरोपी दलीप कुमार एसआई की मौजूदगी का पता मालूम करने के लिये पुनः परिवादी श्री समुन्द्रसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 7062501113 से आरोपी दलीप कुमार एसआई के मोबाईल नम्बर 9414085293 पर समय 5.39 पीएम पर कॉल लगाकर वार्ता करवाई तथा परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया।

परिवादी व आरोपी एसआई के मध्य हुई वार्ता में आरोपी एसआई ने करीब घण्टे भर बाद परिवादी की मेडिकल स्टोर की दूकान पर ही आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के मामाजी के घर पर मुकिम रहा।

तत्पश्चात समय करीब 6.40 पीएम पर परिवादी श्री समुन्द्रसिंह को उसकी दूकान की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी की दूकान की तरफ पैदल-पैदल रवाना होकर समय करीब 6.43 पीएम पर परिवादी की दूकान के पास पहुँचा जहाँ परिवादी अपनी दूकान पर चला गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी की स्वास्तिक मेडिकल स्टोर की दूकान के आस-पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को परिवादी के घर के बाहर वाहन में मुकिम रहने की हिदायत दी गई।

समय करीब 6.55 पीएम पर कस्बा पिलानी में भगतसिंह सर्किल के पास चिड़ावा रोड स्थित परिवादी की स्वास्तिक मेडिकल स्टोर के सामने मुख्य सड़क पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा आरोपी दलीप कुमार एसआई को रिश्वती राशि लेनदेन करते हुये देखने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान ट्रेप पार्टी को ईशारे से साथ लेते हुये परिवादी की स्वास्तिक मेडिकल स्टोर की दूकान पर पहुँचा जहाँ परिवादी श्री समुन्द्रसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दूकान के अन्दर बैच पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही दलीप कुमार एसआई है, जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बाईं जेब में रखे हैं" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी होना बताते हुये बताया कि "मैंने इसको उधार के रुपये दिये थे, वो लिये हैं" आरोपी एसआई को रुपये कब दिये तथा इनकी कोई लिखा पढी की गई अथवा नहीं बाबत पूछने पर बताया कि "मैंने कोई लिखा पढी नहीं की है" मौके पर परिवादी समुन्द्रसिंह ने आरोपी श्री दलीप कुमार के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "मैंने इनसे कोई रुपये उधार नहीं लिये हैं, दिनांक 21.03.2022 को मेरी मोसीजी श्रीमती ललीता के बेटे प्रवीण के विरुद्ध मारपीट के मुकदमें में मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मेरी मोसीजी के एक लडके श्री प्रवीण के खिलाफ चालान करने तथा शेष अन्य को मुल्जिम नहीं बनाने के बदले इन्होंने पहले के बताये 50,000 रुपयों में से कम करते हुये 30,000 रुपये देने की कही तथा फिर 25,000 रुपये देने की कही, आज इनको मैंने मोबाईल पर वार्ता की तो इन्होंने मुझे दूकान पर ही आकर रुपये लेने की कही, इनके अपनी गाडी बोलेरो से दूकान पर आने पर मैंने इनको अपनी दूकान के अन्दर 25,000 रुपये रिश्वत के ही दिये हैं" रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनू का बांय हाथ श्री रामनिवास कानि. एवं दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. के जरिये कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। तत्पश्चात दो काँच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा-थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनू के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनू के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व घिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सीलड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनू ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बाईं जेब से रिश्वती राशि पाँच-पाँच सौ रुपये के नोटों की थैई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री सुनिल जांगिड से गिनवाया गया तो कुल 25,000 रुपयों के नोट पाये गये। इन नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद शुदा नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर 25,000 हजार रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सीलड किया गया। तत्पश्चात आरोपी

एसआई को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसे पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर इसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश की। तत्पश्चात एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बाईं जेब को उलटवाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशियों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया गया। आरोपी एसआई की उक्त पेन्ट के जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेबों में कोई भी वस्तु नहीं पाई गई। आरोपी एसआई की उक्त जिन्स पेन्ट बरंग निली पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलवाकर सील मोहर कर मार्क "बी" अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं को परिवादी के मोसी के बेटे प्रवीण के विरुद्ध दर्ज मुकदमें के बारे में पूछा तो बताया कि "पिलानी थाने में श्री प्रवीण के विरुद्ध मारपीट के दर्ज मुकदमा संख्या 80/2022 का अन्वेषण मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा प्रवीण को जे/सी करवाकर प्रकरण की पत्रावली कोर्ट एलसी को ब्रिफ के लिये दी हुई है।" तत्पश्चात पुलिस थाना पिलानी में दर्ज प्रकरण संख्या 80/2022 की पत्रावली श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुरेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं के मार्फत मूल पत्रावली प्राप्त की गई। उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर श्री सुरेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस से प्रमाणित करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस ली गई तथा मूल पत्रावली उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया। आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं की गाडी बोलेरो नम्बर एचआर 39 ए-4490 की तलाशी लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। उक्त वाहन बोलेरो नम्बर एचआर 39 ए-4490 को मय चाबी के श्री सुरेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस पीएस पिलानी को सम्भलाई जाकर मुनासिब हिदायत दी गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री समुन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 22.03.2022 को आरोपी दलीप कुमार एसआई की मौजूदगी का पता मालूम करने के लिये परिवादी श्री समुन्द्रसिंह से उसके व्हाट्सअप मोबाईल नम्बर 9929036489 से आरोपी दलीप कुमार एसआई के मोबाईल नम्बर 9414085293 पर समय 11.33 एएम पर कॉल लगाकर वार्ता करवाई तथा परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर हुई वार्ता को कार्यालय के दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा परिवादी श्री समुन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 22.03.2022 को आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी समुन्द्रसिंह ने स्वयं की व आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी समुन्द्रसिंह को कस्बा पिलानी में ही छोड़ा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी एसआई तथा जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर पिलानी से सीकर के लिये रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहुँचा। प्रकरण से संबंधित जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सन्तासिंह, उम्र-52 वर्ष, जाति जाट, निवासी अच्छापुर तहसील राजगढ़ जिला चूरु हाल एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री समुन्द्रसिंह के मोसी के बेटे भाई श्री प्रवीण के विरुद्ध पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं के दर्ज अभियोग संख्या 80/2022 में मात्र प्रवीण को ही आरोपी बनाकर चालान पेश करने तथा प्रकरण में शेष अन्य आरोपियों को मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में दिनांक 21.03.2022 को परिवादी समुन्द्रसिंह से 25,000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 22.03.2022 को 25,000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री दलीप कुमार एसआई पुलिस चौकी पिपली थाना पिलानी जिला झुंझुनूं के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।




(सुरेशचन्द्र)

पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दलीप कुमार, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी पिपली, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनू के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 94/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


23.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 834-38 दिनांक 23.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला झुंझुनू।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।


23.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।